

27/3/25

पत्रावली पेश। वकील शर्मा अनुपस्थित।
वकील शर्मा व शर्मा को आवाज दिलाई
गई कोई हाजिर नहीं हुए। कोर्ट
का समय पूरा हो चुका है इसलिए
शर्मा को जमानत पत्र 151 जा. डी. 818
प्रतिम 2025 अदालत हाजरी व अदालत
पेशी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली प्रेमल शुभार होकर दर्ज
नं. 10 है कि वकील दखलदारी

✓
सपरान्त अदालत
फाजी, जयपुर